न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/73 **दायरा दिनांक : 03.07.2023**

उनवान

1. नाराण सिंह पुत्र भगवान सिंह
2. शोदान सिंह पुत्र भगवान सिंह
3. मनोहर सिंह पुत्र भगवान सिंह

अकवाम जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम चन्द्रपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. नाथूसिंह आत्मज रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम चन्द्रपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/74 **दायरा दिनांक : 03.07.2023**

उनवान

1. गोपाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
2. मान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
3. नेपाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
4. रामू बाई बेवा इन्द्र सिंह
5. सुल्तान सिंह पुत्र राधो सिंह
6. गोकुल सिंह पुत्र राधो सिंह
7. गोविन्द सिंह पुत्र राधो सिंह
8. लीला बाई बेवा राधो सिंह

अकवाम जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम चन्द्रपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. नाथूसिंह आत्मज रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम चन्द्रपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 21.03.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 15/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मिश्रोली, तहसील पचपहाड़ में आराजी खाता नम्बर 978 नया व 915 पुराना की खसरा नम्बर 1758 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1763 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1765 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1766 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1770 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। खातेदार हमीर बाई के खाते मे कुल आराजी खसरा नम्बर 1758, 1763, 1765, 1766 1770 की 5 किता की 15 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। खातेदार हमीर बाई करीब 40 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व ला–औलाद फोत हो चुकी है। उक्त अपील के पैरा क्रम 3 में वर्णित रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पिता रामसिंह का परिवार का जो सजरा बनाया है उसके मुताबिक बापू सिंह मृतक के भी अपील के पैरा क्रम 4 में वर्णित वारिसान को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया, हिन्दू उत्तराधिकार प्रावधानों के तहत खातेदार हमीर बाई के ला–औलाद होने की स्थिति में सजरे में वर्णित रामसिंह व बापू सिंह दोनों ही उक्त आराजी 1/2, 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट/वादी के द्वारा स्वीकार किया गया है, इसलिये इनके सभी वारिसान को पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नहीं था।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 नाथू सिंह/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद पत्र में पैरा क्रम 3 में तथ्य अंकित किया है कि मृतक हमीर बाई ने अपने जीवन काल में ही अपने दोनों भाइयों को आधी–आधी जमीन दे दी थी और जिनके नाम क्रमशः रामसिंह व नरवर सिंह अंकित किया है। जबकि नरवर सिंह की जगह बापू सिंह होना चाहिये क्योंकि यह तो बापू सिंह का पुत्र है एवं इन दोनों को भाई बताया है। यह तथ्य भी गलत अंकित किया है कि जबकि रामसिंह व बापू सिंह हमीर बाई की मां मेहताब बाई के भाई थे। जैसा कि अपील

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के पैरा क्रम 3 के सजरे में वर्णित है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में गलत तथ्य अंकित किये हैं एवं सजरे के मुताबिक बापूसिंह मृतक के वारिसान जो सजरे के पैरा क्रम 4 में अंकित है जिनमें अपीलान्ट भी है, को भी दावे में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि स्वयं वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 इनका 1/2 हिस्सा मानता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के पैरा क्रम 4 में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अपने आपको मृतक खातेदार हमीर बाई का गोद पुत्र बताया है जिसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय में कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं हुआ, एवं वाद पत्र के पैरा क्रम 5 में अपने आपका 30 वर्षो से कब्जा होना बताकर आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार होना मानकर तथ्य अंकित किये हैं, जबकि गोद पुत्र का बिन्दु सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय को गोद पुत्र घोषित करने का अधिकार नहीं है एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन दोनों कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं फरमाकर केवल मात्र एक तरफा अवैधानिक मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2018 के आधार पर वाद डिक्री किया है, जो अवैधानिक है। वास्तविकता यह है कि मौके पर खसरा नम्बर 1758 पर मिश्रोली सडक की तरफ अपीलान्ट नारायण सिंह, शोदान सिंह, मनोहर सिंह जो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 वादी नाथू सिंह के भाई मृतक भागवान सिंह के लडके हैं। मोतीसिंह के लडके है इनके मकान बने हुए है एवं एक मकान नाथू सिंह के भाई मृतक मोतीसिंह का मकान बना हुआ है। मिश्रोली सडक की तरफ ही 1763 पर अपीलान्ट के बाडे बने हुए है। तीनों अपीलान्ट के मकान के पीछे खसरा नम्बर 1758 में वादी नाथू सिंह का कच्चा आवास है तथा कुछ जगह खाली है इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी पर नाथू सिंह रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है। इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा छिपाया गया है। परन्तु उक्त दोनों खसरा नम्बर के मामले में वादी ने पटवारी हल्का से मिलकर फर्जी मौका रिपोर्ट बनायी है इसलिये केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री करने में गलती की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 वादी नाथू सिंह के द्वारा गोद पुत्र एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद प्रस्तुत करना अंकित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्लीडिंग से परे तथाकथित वसीयत दिनांक 25.05.1971 का हवाला देकर निर्णय पारित किया है जो सन्देहास्पद है यदि कोई वसीयत होती तो इसका अंकन वाद पत्र में किया जाता और यदि वादी के पास, यदि कोई वसीयत थी तो करीब 40 वर्षों से भी अधिक समय से वादी ने इसके आधार पर आराजी खातेदारी लगाने बाबत कोई चाराजोही नहीं की है यह भी सन्देहास्पद है। अपील में वर्णित सजरे से यह स्पष्ट है कि खातेदार हमीर बाई की मां मेहताब बाई के दो भाई रामसिंह व बापू सिंह थे एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के कथन से यह भी स्पष्ट है कि खातेदार हमीर बाई ला औलाद फोत हुई कानूनन हमीर बाई के हिस्से की आराजी उसकी मां के

(दीप्ति चन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भाई रामसिंह 1/2 और बापूसिंह 1/2 के अधिकारी हुए और रामसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके 1/2 हिस्से के अधिकारी चार पुत्र नाथू सिंह (वादी) एवं मृतक मोतीसिंह भगवान सिंह व दाणी सिंह चारों पुत्र 1/8, 1/8 हिस्से के अधिकारी हुए एवं अपीलान्ट क्रम 1 लगायत 3 भगवान सिंह के वारिस होने से रामसिंह के हिस्से में से 1/2 में से 1/4 अर्थात 1/8 हिस्सा आराजी प्राप्त होने के अधिकारी व 1/8 हिस्सा करीब आराजी पर मकान बने होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित है। जो प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील पेश कर रहे हैं। अपील में वर्णित सजरे से यह स्पष्ट है कि खातेदार हमीर बाई की मां मेहताब बाई के दो भाई रामसिंह व बापू सिंह थे एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के कथन से यह भी स्पष्ट है कि खातेदार हमीर बाई ला–औलाद फोत हुई कानूनन हमीर बाई के हिस्से की आराजी उसकी मां के भाई रामसिंह 1/2 और बापू सिंह 1/2 के अधिकारी हुए तदानुसार बापू सिंह के 1/2 हिस्से पर अर्थात हमीर बाई के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1765, 1766, 1770 की आराजी के अपील के पैरा क्रम 4 में वर्णित बापूसिंह के वारिसान प्राप्त करने के अधिकारी हुए ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार हमीर बाई के हिस्से की आराजी के मामले में अधिकारों के निर्धारण के लिये अपील के पैरा क्रम 3 व 4 मे वर्णित रामसिंह व बापू सिंह के वारिसान को वाद में पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नहीं था । चूँकि अपीलान्ट बापू सिंह के पुत्र इन्द्र सिंह व राधो सिंह के वारिसान होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार हैं जो प्रभावित पक्षकार होने की हैसियत से यह अपील पेश कर रहे है। रेस्पोडेंट कम 1 का वाद कुल 15 बीघा 7 बिस्वा आराजी के रामसिंह के 1/2 हिस्से की आराजी पर ही 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्से पर अर्थात 1/8 हिस्से पर ही डिक्री योग्य था एवं पारिवारिक वंशावली अनुसार अपीलांट एवं अन्य सभी आवश्यक पक्षकार थे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के रेस्पोडेंट कम 1 को करीब 1/2 हिस्से के करीब 1758 की 4 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1763 की 2 बीघा 14 बिस्वा कुल 7 बीघा 2 बिस्वा आराजी का बिना आधार के खातेदार घोषित करने में व खाता पृथक करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जावे कि वह विवादित आराजी के मामले में मृतक खातेदार के भाई की मां मेहताब बाई के भाई राम सिंह के पुत्र वादी नाथू सिंह के अलावा मृतक अन्य तीन पुत्र भगवान सिंह, मोतीसिंह व दाणीसिंह के वारिसान एवं अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर व हमीर बाई के दूसरे भाई मृतक बापूसिंह के सभी चार मृतक पुत्र नरवर सिंह, गंगासिंह, इन्द्रसिंह राधो सिंह के वारिसान को वाद में पक्षकार बनाकर जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर देते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक खातेदार हमीर बाई की विरासत के बारे में हक व अधिकारों का पुनः निर्धारण करें।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.06.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 एवं 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 एवं 151 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मिश्रोली, तहसील पचपहाड़ में खसरा नम्बर–1758, 1763, 1765, 1766, 1770 की कुल 5 किता की 15 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है। जो राजस्व अभिलेख में हमीर बाई पुत्री गुलाब सिंह के खाते में दर्ज है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 1758 एवं 1763 की आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम–1 (वादी) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा–88 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पेश किया और यह निर्विवाद है कि खातेदार हमीर बाई ला–औलाद फोत हुई है, परन्तु वादी नाथूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में केवल राज्य सरकार को ही पक्षकार बनाया और हमीर बाई के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों को जो अपील मेमो के पेज नं.–3 पर अंकित है, को पक्षकार नहीं बनाया एवं तथ्य छिपा कर खसरा नम्बर–1758 एवं 1763 की आराजी के बारे में वाद प्रस्तुत कर दिया एवं वाद पत्र में अपने आपको बिना आधार के खातेदार हमीर बाई का गोद नशीन लड़का बताकर व विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन बताकर वाद प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत केवल मात्र मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम–1 (वादी) का वाद डिक्री कर खसरा नम्बर–1758 एवं 1763 की आराजी का खातेदार घोषित कर दिया। अपीलान्ट खातेदार हमीर बाई के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधिक वारिसान है इसलिए प्रभावित पक्षकार की हैसियत से जानकारी की दिनांक से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की है।

खातेदार हमीर बाई करीब 40 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व ला–औलाद फौत हो चुकी है। मृत्यु होने के तथ्य को संशोधित वाद के पैरा क्रम–5 में वादी द्वारा स्वीकार किया गया। हमीर बाई के वारिसान अपील मेमो के पेज क्रम–3 पर अंकित है। मृतक हमीर बाई ला–औलाद होने से शजरे के मुताबिक राम सिंह एवं बापू सिंह 1/2–1/2

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हिस्से के अधिकारी हुए। अपीलान्ट क्रम–1 लगायत–8 भी खातेदार ला–औलाद मृतक हमीर बाई के वारिसान है। जिनका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक व अधिकार बनता है एवं विवादित आराजी पर अपीलान्ट क्रम–1 लगायत–8 जो बापू सिंह मृतक के वारिस होने से मुताबिक शजरा बापू सिंह के 1/2 हिस्से में से नियमानुसार विवादित आराजी में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चूंकि इस आराजी पर अपीलान्ट के भी मकानात बने हुऐ हैं। इस तथ्य को मौका रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। रेस्पोडेन्ट क्रम–1 (वादी) ने अपने आपको मृतक खातेदार हमीर बाई का गोदपुत्र बताया है जबकि नाथूसिंह शजरे के मुताबिक रामसिंह का पुत्र है एवं दावे के टाइटल में भी रेस्पोडेन्ट नाथूसिंह ने अपने आपको रामसिंह का पुत्र बताया है। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ जिससे कि रेस्पोडेन्ट नाथू सिंह को हमीर बाई का गोदपुत्र माना जा सके। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गोदपुत्र एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर तनकी नं.–1 कायम की जिसका निर्णय करने में अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित वसीयत दिनांक 25.05.1971 एवं मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 15.02.2018, जो किसी ऐडवोकेट द्वारा बताई है, को आधार मानकर रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है।

रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.03.2015 को जो वाद पेश किया वह केवल हमीर बाई का गोद पुत्र होने के आधार पर एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर पेश किया था। परन्तु वाद पत्र दिनांक 11.03.2015 में एवं संशोधित वाद पत्र दिनांक 18.12.2017 में तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 25.05.1971 प्रदर्श पी.–1 का कोई उल्लेख नहीं है। दावा प्रस्तुत करने के बाद में तैयार किया जाना प्रतीत होता है एवं कानूनन वसीयतनामा एवं दत्तक पुत्र व एडवर्स पजेशन के आधार पर विरोधाभासी तथ्य होने से वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट नाथू सिंह को अवैधानिक रूप से खसरा नम्बर–1758 एवं 1763 आराजी का खातेदार घोषित किया है। मृतक खातेदारी हमीर बाई के शेष खसरा नम्बर की आराजी 1765, 1766, 1770 पर अपीलान्ट जो मृतक बापू सिंह के वारिसान है, के मकान एवं बाड़े बने हुऐ हैं एवं एक मकान नाथू सिंह के भाई मृतक मोती सिंह का बना हुआ है। इन तथ्यों को नाथू सिंह ने वाद पत्र में छिपाया है एवं पटवारी हल्का ने भी मौका रिपोर्ट में छिपाया है।

रेस्पोडेन्ट/वादी नाथू सिंह के भाई मृतक भगवान सिंह के वारिसान नारायण सिंह, शोदान सिंह एवं मनोहर सिंह ने भी विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा विधिक रूप से बनता है। इसलिए भगवान सिंह के वारिसान ने भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध पृथक से अपील माननीय न्यायालय में नारायण सिंह बनाम नाथू सिंह के उनवान से प्रस्तुत कर रखी है, जिसमें भी आज तारीख पेशी नियत है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित आराजी के मामले में दावे की प्लीडिंग के परे तथाकथित वसीयतनामा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 25.05.1971 को एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2018 को आधार मानकर रेस्पोडेन्ट क्रम–1 का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है एवं वादी ने अपने दावे में सहायता केवल राज्य सरकार के खिलाफ ही चाही थी एवं राज्य सरकार को ही पक्षकार बनाया है इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत धारा–80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं था, इस आधार पर भी वाद खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण की मेरिट एवं न्याय हित को देखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 एवं धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाते हुए अपील का गुणवगुण पर निर्णय फरमाया जावे।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2018 निरस्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिया जावे कि वह विवादित मामले में दावे में खातेदार मृतक हमीर बाई के वारिसान अपीलान्ट एवं अपील मेमो के शजरे में अंकित सभी वारिसान को पक्षकार बहैसियत प्रतिवादीगण बनाकर जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुऐ विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें, अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. टी. 2015 (2) पेज 1077, आर. आर. टी. 2017 (1) पेज 1, आर. आर. टी. 2022 (2) पेज 1118, आर. आर. टी. 2023 (2) पेज 1241, आर. आर. टी. 2017 (2) पेज 1104 व आर. आर. टी. 2006–2007 पेज 443 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पाडेन्ट ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के यहा ग्राम मिश्रोली तहसील पचपहाड़ की आराजी खसरा नम्बर 1758 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1763 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1765 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1766 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1770 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा स्थित है जो हमीरबाई पुत्री गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी मिश्रोली के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 1758 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1763 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल 2 किता 7 बीघा 04 बिस्वा को खाते में घोषित कराने का वाद पेश किया हमीरबाई पुत्री गुलाबसिंह का काफी अर्से पूर्व देहान्त हो चुका है उनके आगे पीछे कोई औलाद एवं कानूनी कायम मुकामान एवं वारिस मौजूद नहीं है। हमीरबाई के दो भाई रामसिंह व बापूसिंह है हमीरबाई ने खसरा नम्बर 1758 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1763 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल 2 किता 7 बीघा 04 बिस्वा आराजी को छोड़कर बाकि की आराजी अपने दोनों

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भाइयो को आधी–आधी 1/2, 1/2 को दे दी तथा खसरा नम्बर 1758 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1763 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल 2 किता 7 बीघा 04 बिस्वा वादी नाथूसिंह को दे दी हमीरबाई अपने मामा रामसिंह के यहां रहने लग गयी थी जिस कारण बचपन मे नाथूसिंह को गोद ले लिया था हमीरबाई की सेवा चाकरी नाथूसिंह ही करता था। हमीरबाई नाथूसिंह की बहन लगती थी हमीरबाई के मरने के बाद नाथूसिंह ने उनका सारा क्रियाकर्म किया तथा पगड़ी भी वादी नाथूसिंह को ही बंधी है वादी नाथूसिंह ही एक मात्र हमीरबाई का गोद नसीन पुत्र एवं कानूनी वारिस है।

खसरा नम्बर 1758 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1763 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल 2 किता 7 बीघा 04 बिस्वा आराजी पर हमीरबाई के जीवन काल से ही एवं हमीरबाई की मृत्यु के बाद से करीब 30 वर्षों से नाथूसिंह खेती करता आ रहा है एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है वादी नाथूसिंह ही उक्त आराजी को हांकता जोतता व फसल बोता चला आ रहा है। जिसकी जानकारी आसपास के पड़ोसियों एवं अपीलान्टस् को भी है। हमीरबाई ने वादी नाथूसिंह के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 25.05.1971 को आलेखित करवायी कि "मेरी जमीन खसरा नम्बर 1758 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1763 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा मेरे मामा रामसिंह आत्मज ऊंकारलाल जी राजपूत, निवासी चन्दरपुरा का खेड़ा, तहसील पचपहाड़ के पुत्र नाथूसिंह के नाम वसीयत कर रखी तथा बाकि की जमीन मेरे पास ही रहेगी ऊपर लिखित जमीन को नाथूसिंह मेरी मृत्यु के बाद अपने नाम करवा लेवे नाथूसिंह जो मेरी सेवा कर रहा है इससे खुश हूँ मेरे पति व पिता की मोत पहले हो चुकी है तथा वर्तमान में मेरे देखभाल नाथूसिंह ही कर रहा है अभी मैं जीवित हूँ। इस कारण सभी जमीन की देखभाल मेरे सभी मामा सहयोग कर रहे हैं नाथूसिंह को मैंने जो दो खेत की वसीयत की है यह जमीन भी मेरे मृत्यु तक मेरे पास ही रहेगी मेरी मृत्यु के बाद ही नाथूसिंह ऊपर वर्णित जमीन का मालिक होगा तथा अपने नाम करवाने का अधिकारी होगा। अतः आज मैंने यह वसीयत दो गवाह के समक्ष लिख दी है जो वक्त जरूरत काम आवे। उक्त वसीयत पर मोतीलाल पिता रामसिंह का गवाह में निशानी अंगूठा लगा हुआ है जिस कारण मोतीलाल के वारिस ने कोई अपील पेश नहीं की हैं अपीलान्टस् को भी उक्त वसीयत की जानकारी है अपीलान्टस् के पिता की मृत्यु हो जाने से अपीलान्टस् की नियत में खोट आ गयी है जिस कारण उन्होंने बाद में सोच कर अपील पेश की हैं। खसरा नम्बर 1758 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1763 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा की मौका रिर्पोट के लिए वादी की ओर से उपखण्ड अधिकारी के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके आधार पर हल्का पटवार एवं मौका कमिश्नर ने मौके पर जाकर दिनांक 12.02.2018 को मौका रिर्पोट बनायी मौका रिर्पोट में भी खसरा नम्बर 1758 व 1763 पर कब्जा वादी का ही पाया गया जो काबिल गौर है। अपीलान्टस् हमीरबाई के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहा बनाया गया है वादी नाथूसिंह ने केवल दो खसरा नम्बर जो वसीयत किये गये है उनको

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपने खाते घोषित करवाने का वाद पेश किया था जिस कारण उक्त वाद में अपीलान्टस् आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। वादी/रेस्पोडेन्ट ने पटवारी साहब एवं तहसीलदार साहब की वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोलने के लिए कई चक्कर लगाये किन्तु उनके द्वारा नामान्तकरण तस्दीक नहीं करने के कारण वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के अनुसार वाद डिक्री किया है एवं डिक्री के आधार पर वादी के पक्ष में खसरा नम्बर 1758 व 1763 का नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 1758 व 1763 को हड़पने के उद्देश्य से बनावटी एवं मनगढ़न्त कथन दर्ज कर पेश की है अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1758 पर सड़क की तरफ मकान नहीं बने हुए है और कब्जा भी नहीं है, जिस कारण अपील अपीलान्टस् मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 एवं 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 एवं 151 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

धारा 96 एवं 151 सी. पी. सी. के तहत प्रस्तुत दोनों अपील संख्या 2023/73 नारायण सिंह बनाम नाथूसिंह एवं अपील संख्या 2023/74 गोपाल सिंह बनाम नाथूसिंह दोनों अपीलों में विवादित आराजी एवं विवाद के तथ्य समान होने से हम प्रस्तुत दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से करना उचित समझते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा खातेदार हमीरबाई पुत्री गुलाब सिंह के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1758 रकबा 4.08 बीघा व खसरा नम्बर 1763 रकबा 2.14 बीघा के सन्दर्भ में अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु खातेदार हमीरबाई की मृत्यु के बाद उसके कोई विधिक वारिसान नहीं होना अंकित करते हुए वादपत्र बनाम सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़ को प्रतिवादी बनाते हुए प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करने के पश्चात तनकीवार विवेचन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19.04.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1758 रकबा 4.08 बीघा व खसरा नम्बर 1763 रकबा 2.14 बीघा वाके ग्राम मिश्रोली, तहसील पचपहाड़ का खातेदार टीनेन्ट घोषित कर खाता अलग कायम किये जाने का आदेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 25.05.1971 प्रदर्श पी. 1 जो वसीयतकर्ता खातेदार हमीरबाई द्वारा गवाहान की उपस्थित में वसीयत ग्रहिता वादी नाथूसिंह के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत एवं मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2018 के आधार पर वादी का वाद साबित होना माना है। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वसीयत पत्र को वसीयत निष्पादन के समय वसीयत को प्रमाणित करने वाले गवाह रूघनाथ सिंह आत्मज हरि सिंह व रतन सिंह आत्मज रूघनाथ सिंह के माध्यम से प्रमाणित करवाया है। मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1758 व 1763 पर वादी का कब्जा है। इसके विपरीत अपीलांट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1758 व 1763 पर अपने विधिक अधिकार एवं स्वामित्व को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसी प्रकार अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत अपील पर चस्पा नहीं होना पाया गया। अतः अपील के इस स्त. पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2023/73 नारायण सिंह बनाम नाथूसिंह एवं 2023/74 गोपाल सिंह बनाम नाथूसिंह दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचंद्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2023/73

1. नाराण सिंह पुत्र भगवान सिंह
2. शोदान सिंह पुत्र भगवान सिंह
3. मनोहर सिंह पुत्र भगवान सिंह अकवाम जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम चन्द्रपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

..... **अपीलांट**

1. नाथूसिंह आत्मज रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम चन्द्रपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 2023/74

1. गोपाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
2. मान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
3. नेपाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
4. रामू बाई बेवा इन्द्र सिंह
5. सुल्तान सिंह पुत्र राधो सिंह
6. गोकुल सिंह पुत्र राधो सिंह
7. गोविन्द सिंह पुत्र राधो सिंह
8. लीला बाई बेवा राधो सिंह अकवाम जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम चन्द्रपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

..... **अपीलांट**

बनाम

1. नाथूसिंह आत्मज रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम चन्द्रपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2023/73, 2023/74** एवं नाराजगी डिक्री अदालत–**उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी**

मु.द.नं **15/दावा/2015** निर्णय एवं डिक्री दिनांक – **19.04.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 21 माह **02** सन् **2025**

हाजरी **श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 की ओर से,

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2023/73 नारायण सिंह बनाम नाथूसिंह एवं 2023/74 गोपाल सिंह बनाम नाथूसिंह दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 21 माह 03 सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)